

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटा जिला  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) पाटन अडोल

न्यायाधीश :- (कलक्टर सिद्धिदत्त) RAS

गंगादीन ..... उनवान बनाम सीताराम पुरे

वादाबाबत ..... 53-180 RT Act - 1955

मुकदमा नम्बर :- 109/25-5-16

निर्णय दिनांक :- 15-06-2016

वादी की ओर से गंगादीन की व प्रतिवादी की ओर से सीताराम पुरे

की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-06-2016 को उपखण्ड अधिकारी (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि (1) विवादित आगूजी 24 नं. 438 रकबा 1-09 बीघा 1.16 ह. 4 सीताराम - गोपाराम पि. 428 भाग अडोल सा. (1) वरमा बोलानी (2) 438/2 रकबा 2-16 बीघा 1.24 ह. पर गुह्यपाल पुत्र बुद्धा चमार सा. गुपसा गौर शतेदार स. 2003 (3) 24 नं. 438/3 रकबा 3-00 बीघा 1.17 शपठ रूपल गंगादीन - विठ्ठल सिंह पि. पूरन 7/3 हि. गुमाव पुत्र राज कौर - इस कौर - रमेश पुत्री प्रान मोहरी हि. 4/5 हि., सवित्री पत्नी व सुब्बा पुत्रा सलवीर पुत्रान व श्रीना पुत्री अमभाहि 1/5 हि. सा. पतिपकट शतेदार 24 किमा कौर शतेदार अलग अलग अलग अलग कामप किमा काल शतेदारों में अमल दरामद किमा कौर पत्रा पत्नी नरेश्वर दोषम डोकल अद व कपीम दाहि ल दामल की लगे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(कलक्टर सिद्धिदत्त)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर, कोटा जिला

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामिल		
जोड़		जोड़

